राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ. 2/08/2020/एस–1/पार्ट–फा0/197 **दिनांकः 26.05.2020**

<u>आदेश</u>

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के डीओ पत्र सं0 40–3/2020–डीएम–I (ए) दिनांक 20.05.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन लॉकडाउन के उपाय से छूट दी है ताकि विद्यार्थियों की बड़ी संख्या के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए 10 वीं और 12 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षायें आयोजित की जा सके :

क) कंटेनमेंट जोन में, किसी भी परीक्षा केंद्र की अनुमति नहीं होगी।

ख) शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों द्वारा फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

ग) केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सेनिटाइजर की व्यवस्था होगी और और सभी परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

घ) विभिन्न बोर्डों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए , उनकी परीक्षाओं का समय अलग–अलग रखा जाना चाहिए ।

ङ) परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को लाने लेजाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष बसों की व्यवस्था की जा सकती है।

अब, इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य कार्यकारिणी समिति, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अद्योहस्ताक्षरी, एतद् द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि अध्यक्ष, सीबीएसई, सचिव (शिक्षा),

सचिव–सह – आयुक्त (परिवहन), समस्त जिला मजिस्ट्रेट और उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त 10 वीं और 12 वीं कक्षाओं के लिए सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने हेतु इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये ।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली.

सेवा में,

1. अध्यक्ष, सीबीएसई।
2. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव–सह–आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली।
5. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।
6. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
11. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
13. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की ddma.delhigovt.nic.in. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड फाइल।